कार्यालय नगरपालिका परिषद, बहराइच।

पत्रांक– 668 / पं0दीनद0उपा0आ0न0पं0यो0 / ई–टेण्डर / 2021–22 दिनांक 27 नवम्बर, 2021

ई–निविदा सूचना

नगरपालिका परिषद, बहराइच द्वारा पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत शासन के दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्ययोजना तैयार किये जाने एंव स्वीकृत परियोजना के अनुश्रवण हेतु एक अनुभवी आर्किटेक्ट / टाउन प्लानर, जिसे परियोजना लागत का 2 प्रतिशत अथवा रू0 8.00 लाख अधिकतम पारिश्रमिक देय होगा, से ई–टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर निम्नलिखित नियम एंव शर्तो के अधीन, आनलाइन निविदायें प्रतिशत दर के आधार पर आमन्त्रित की जाती है। ई–निविदा सूचना आनलाइन दिनांक 29-11-2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 7-12-2021 को अपरान्ह 3:00 बजे तक ई–टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर डाउनलोड करके अपलोड की जा सकती है। फर्मो द्वारा आनलाइन अपलोड की गयी उक्त निविदा से सम्बंधित अभिलेखों (जैसे आयकर, जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र, फर्म के पंजीयन का प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एंव अन्य अभिलेख इत्यादि) की हार्ड कांपी को बन्द लिफाफे में दिनांक 7-12-2021 को अपरान्ह 4:00 बजे तक नगरपालिका परिषद, बहराइच के निर्माण अनुभाग में जमा करना होगा। हार्ड कांपी के बन्द लिफाफे फर्मो के समक्ष टाउन प्लानर चयन समिति द्वारा खोले जायेंगे। अर्ह पाये गये निविदादाताओं द्वारा अपलोड की गयी ई–निविदाओं में से किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

क0सं0	कार्य का नाम	कार्ययोजना की लागत	कार्ययोजना तैयार करने की अवधि
1	2	3	4
1	पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत लगभग रू0 4.00 करोड की कार्य योजना शासन के दिशा–निर्देशों के अनुरूप तैयार किये जाने एंव कार्ययोजना की स्वीकृति उपरान्त कार्यो का अनुश्रवण किये जाने का कार्य।	4.00 करोड लगभग	15 दिवस

नियम व शर्ते–

1– ई–निविदा दाता को अपनी फर्म के पंजीयन का प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, अनुभव प्रमाण पत्र एंव रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र ई–टेण्डर पोर्टल पर स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा मूल शपथ पत्र एंव प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रतियां कार्यालय में हार्ड कांपी के साथ जमा करना होगा।

2– शासन के आदेशानुसार कार्य योजना तैयार किये जाने एंव कार्य योजना की स्वीकृति उपरान्त कार्यो का निरन्तर अनुश्रवण न्यूनतम निविदादाता (आर्किटेक्ट / टाउन प्लानर) को करना होगा जिसके लिए परियोजना लागत का 2 प्रतिशत अधिकतम रू0 8.00 लाख का पारिश्रमिक फर्म को संतोषजनक रूप से कार्य करने के उपरान्त किया जायेगा।

3– समस्त निविदा ई–टेण्डरिंग के माध्यम से ही स्वीकार की जायेंगी, अन्य किसी माध्यम से कोई भी निविदा स्वीकार नही होगी।

4– प्राप्त न्यूनतम निविदा की स्वीकृति उपरान्त न्यूनतम निविदादाता से अनुबंध कराये जाने के पश्चात नियमानुसार कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

5– उक्त कार्य हेतु कम से कम तीन निविदायें समस्त औपचारिकताओं सहित आन लाइन प्राप्त होने पर ही न्यूनतम निविदा की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

6– सशर्त निविदायें स्वीकार नही की जायेगी।

7– निविदा की विस्तृत जानकारी नगरपालिका परिषद, बहराइच के निर्माण अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

8– किसी भी पंजीकृत फर्म का ठेका स्वीकृत होने /कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात यदि कभी भी संज्ञान में आता है कि सम्बंधित किसी भी अभिलेख (प्रमाण पत्रों)/नियम के अनुसार ठेका पाने के लिए अनर्ह था अथवा सकिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामजिक कार्यो एंव संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो ऐसी दशा में प्रदान किया गया अनुबन्ध / ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

9– प्राप्त किसी भी ई–निविदा को अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। इस सम्बंध मे किसी भी ठेकेदार / फर्म का कोई दावा मान्य नही होगा।

10– निविदादाता को सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए कम से कम तीन वर्ष कार्य करने का अनुभव हो।

11– न्यूनतम निविदादाता की निविदा स्वीकृति उपरान्त कोई अग्रिम भुगतान नही किया जायेगा।

12– तकनीकी बिड में अर्ह पायी गयी निविदाओं की ही वित्तीय निविदायें आनलाइन ई–टेण्डर पोर्टल पर खोली जायेंगी।

13– उपरोक्त समस्त शर्तो का पालन ठेकेदार/फर्म को करना होगा अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

(दुर्गेश्वर त्रिपाठी)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
बहराइच।

(रूबीना रेहान)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद
बहराइच।

पृ०सं० व दिनांक– उपरोक्त

प्रतिलिपि–

1– जिलाधिकारी महोदय बहराइच को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2– अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बहराइच को सूचनार्थ प्रेषित।

3– नगरपालिका परिषद, बहराइच के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
बहराइच।